JALAUN POLICE

दिनांक – 03.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 02 अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमे में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्तगण 1. ब्रजेश पटेल पुत्र अर्जुन सिंह पटेल 2. सोनू यादव पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासीगण गोसपुरा, माली माता वाली गली पटेल धर्मशाला के सामने हजीरा, ग्वालियर(म0प्र0) द्वारा की गयी घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 1175/16(वाद सं0 09/17) धारा 302/201/34/394/411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 411/201 भादवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000-40,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 302/34/394 भादवि में दोषमुक्त किया गया।